



SHIVPURI DISTRICT COLLECTOR

GWALIOR Division

Fire Plan Approval Certificate

अग्नियोजना अनुमोदन प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
AB-2600000238/FNOC/COL/2026/16987	29/09/2026	20/08/2026

आवेदन क्रमांक / Application No. :	AB-2600000238	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :	7.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	3088.0	सड़क के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :	9.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	8400.0		
आवेदक का नाम / Applicant Name :	BRAIN DISCOVERY WORLD SCHOOL SHIVPURI		
संपत्ति का पता / Property Address :	NEAR AMAR SAHID PARK , VILLAGE KHORHGAR		
आवेदक का पता / Applicant Address :	40/1, ग्राम :धोरिय ग्राम पंचायत :धौरिया जनपद पंचायत, पोहरी जिला :शिवपुरी		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्नि योजना अनुमोदन प्रमाण-पत्र (Fire Plan Approval Certificate) निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों पर जारी किया जाता है:-

Signature Not
Verified

Signed by:
Shri Arpit Verma
Reason: Apply for
NOC
Location: 45
Date: 29-09-2026
19:05:03

E-sign

Shivpuri District Collector
Gwalior Division, Madhya Pradesh

Principal
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)

Manager
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)

1. आवेदक को राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 भाग-4, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं भारतीय मानक संहिताओं में दिये गये प्रावधानों/नियमों के तहत भवन की श्रेणी अनुसार निम्नलिखित शर्तों का पालन एवं अग्निशमन उपकरणों को स्थापित करना अनिवार्य होगा:-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/RCCB/ ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

2. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु आपातकालीन योजना बनाई जावे, जिसमें Escape Route, Mock Drill, Life Safety Drill, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निशमन उपकरणों का संचालन आदि, आवश्यक बिन्दुओं को शामिल करने के साथ-साथ अग्निदुर्घटना की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने/निकलने का नियमित अभ्यास कराया जाना अनिवार्य है।

3. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित अग्निशमन उपकरणों Internal Hydrants एवं होज रील भारतीय मानक संहिता IS : 3844 एवं External Hydrants को IS : 13039 में दिये गये प्रावधानों/नियमों के अंतर्गत स्थापित करना अनिवार्य होगा।

4. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु उपयोग किये जाने वाले संवहन/राइजर/डाउनकमर पाईप, Mild Steel, Class-C, IS : 1239 एवं अंडरग्राउण्ड पाईपिंग के लिये IS : 10221 में प्रावधानित/निर्धारित नियमों के अनुसार स्थापित किया जावे एवं समय-समय पर पाईप जाईंट का रेडियोग्राफी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

Signature Not
Verified
Signed by:
Shri Arpit Verma
Reason: Apply for
NOC
Location: 45
Date: 29-09-2026
19:05:03

E-sign

Shivpuri District Collector
Gwalior Division, Madhya Pradesh

Principal
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)

Manager
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)

5. अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन में स्थापित पंप हाउस का निर्माण IS : 15301 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एवं फायर पंपों को IS : 12469 में प्रावधानित स्पेसिफिकेशन के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। फायर पंपों की स्थापना पानी की टंकी के निचले स्तर पर स्थापित करना चाहिये जिससे प्राइमिंग टैंक, फुटवाल्व एवं अतिरिक्त वाल्व की आवश्यकता से बचा जा सके।

6. पंप हाउस में स्थापित स्टैंडबाय/डीजल पंप का निकास पाईप, पंप हाउस के बाहर तक बढ़ाया जाना चाहिये और खुली हवा में उचित ऊंचाई पर निकास किया जाना आवश्यक है। जॉकी पंप (कम से कम 180 एलपीएम) की क्षमता, मेन फायर पंप की क्षमता का 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की होना अनिवार्य होगा।

7. भवनों की अग्निसुरक्षा की रीति संहिता, विद्युत संस्थापन, उपकरणों/तारों को IS : 1646 में प्रावधानित नियमों के अंतर्गत स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसमें विद्युत उपकरणों की जांच एवं रखरखाव शामिल है। स्थैतिक विद्युत शून्य करने के लिये उचित अर्थिंग व्यवस्था एवं लाइटनिंग कंडक्टर की व्यवस्था नियमानुसार करना अनिवार्य होगा।

8. फर्स्ट एड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना संभावित स्थलों जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कोरीडोर में IS : 2190 में प्रावधानित नियमों के आधार पर फायर एक्सटिंग्विशर को स्थापित किया जाना आवश्यक होगा एवं निर्धारित अवधि में टेस्टिंग तथा रिफिलिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

9. भवन में FRP (Fibre Reinforced Plastic) या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग भवन के स्थाई/अस्थायी छत या अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिये, False Ceiling, Deep Seated Place एवं Concealed Space की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 भाग-4 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अग्निशमन उपकरणों को स्थापित करना अनिवार्य होगा।

10. भवन हेतु जारी अग्नि योजना अनुमोदन, जारी दिनांक से एक वर्ष अथवा भवन अनुज्ञा अनुमति अवधि तक के लिये मान्य होगा, अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत आवेदन करना होगा।

11. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उस स्थिति में अग्नि योजना अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं आवेदक को नवीन अग्नि योजना अनुमोदन हेतु पुनः विधिवत आवेदन करना होगा।

Signature Not
Verified

Signed by:
Shri Arpit Verma
Reason: Apply for
NOC
Location: 45
Date: 29-09-2026
19:05:03

E-sign

Shivpuri District Collector
Gwalior Division, Madhya Pradesh

Principal
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)

Manager
Brain Discovery World School
Shivpuri (M.P.)